**न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिमा सिंह, आई.ए.एस.**

**विभागीय अपील संख्या 11 / 2024**

| **अपीलांट** | **बनाम** | **रेस्पोटेन्ट** |
|---|---|---|
| मूलचन्द, तत्कालीन पटवारी<br>पटवार मण्डल,<br>कुडी तहसील कल्याणपुर,<br>हाल– पटवारी चिलानाडी,<br>तहसील पचपदरा जिला बालोतरा। | | जिला कलेक्टर (भू0अ0)<br>बाडमेर |

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर (भू0.अ0) बालोतरा के कमांक प. 14(6) (13)/भू0अ0/जिकबा/2004/785 दिनांक 08.04.2024 जिसके द्वारा सीसीए 17 के तहत अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

**उपस्थितिः—**

1. **अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।**
2. **विभागीय पैरोकार तहसीलदार, कल्याणपुर उपस्थित।**

**निर्णय**

**दिनांकः 10 मार्च,2025**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर राज0 सिविल सेवाये (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 27.07.2024 को प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर बालोतरा से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.02.2025 को अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु तलब किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिनांक 24.02.2025 को उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट वर्तमान मे पटवारी, पटवार मण्डल चिलानाडी, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तत्कालीन पटवार मण्डल, कुडी तहसील– कल्याणपुर के पद पर पदस्थापित है। श्रीमान जिला कलेक्टर, बालोतरा ने अपने ज्ञापन क्रमांक 449 दिनांक 27.02.2024 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न आरोप से आरोपित कियाः––

आरोप संख्या एक–

आप श्री मूलचन्द गोदारा, जिला बालोतरा के पटवारी कुडी के पद पर कार्यरत रहते हुए सोशल मीडिया पर जारी वीडियों के अनुसार आप द्वारा राजनैतिक दल विशेष व राजनेता विशेष का झण्डा लहराते हुए चालू वाहन पर खडे है जो कोई वाहन रैली प्रतीत होती है जिसमें आगे के वाहनों पर इसी प्रकार का झण्डा लगा हुआ है। वीडियों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 (01- Notification No. F.4 (3) Apptt. (A-III)/ 65 dated 4-8-1972 w.e.f. 18.8.1972) के नियम 7(1) एवं 7(4) के तहत विहित प्रावधानों का आप द्वारा उल्लंघन किया जाना पाया गया है।

अपीलान्ट ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त ज्ञापन/नोटिस का प्रत्युतर दिनांक 22.03.2024 को प्रस्तुत किया जाकर आरोपित आरोपों को अस्वीकार करते हुए संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने एवं आरोप मुक्त करने का निवेदन किया गया था परन्तु जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आरोपित आरोप की पुष्टि होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.4.2024 के द्वारा अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह विभागीय अपील श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को आरोपित आरोप के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्युतर में यह अंकित किया गया था कि जो वीडियों श्रीमान को प्रेषित किया हुआ है, वह विधानसभा चुनाव, 2023 के दौरान का है। अपीलान्ट पटवार मण्डल, कुडी के पटवारी पद पर कार्यरत था तथा घरेलू कार्य से बाडमेर गया हुआ था, तत्पश्चात सांय बाडमेर से लौटते वक्त एक वाहन पास से गुजरा जिसमें सवार कुछ लोग मेरे पटवार मण्डल के ही निवासी थे जिन्होंने मुझे देखकर गाडी रोकी और गाडी के अन्दर बैठने को कहा। अन्दर बैठने के दौरान मेरा ध्यान गाडी के उपर लगे झण्डे पर गया, जिस पर मैने झण्डा लगा होने के कारण गाडी में बैठने से मना किया तब गाडी के अन्दर बैठे लोगों ने बताया कि



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

झण्डा हटा कर तो बैठ जाओं जिस पर मैने गाडी के पायदान पर खडे होकर झण्डा हटाकर अन्दर बैठे लोगों को देना चाहा उस दौरान मेरे से नाराजगी रखने वाले किसी व्यक्ति ने मुझे परेशान करने की नियत से वीडियों बना लिया।

अपीलान्ट ने यह कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर में यह भी अंकित किया गया था कि अपीलान्ट के द्वारा किसी भी राजनैतिक दल या किसी भी संगठन के पक्ष में प्रचार–प्रसार नहीं किया गया था। गाडी के ऊपर से झण्डा हटा कर अन्दर बैठे व्यक्तियों को झण्डा देने के वक्त का वीडियों किसी व्यक्ति ने मुझ अपीलान्ट से दुभार्वना रखते हुए बनाया गया है। अपीलान्ट के द्वारा अब भविष्य में कभी भी राज0 सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा अतः आरोपित आरोप से मुक्त करवाने की कृपा करावें। श्रीमान जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा अपीलान्ट के उक्त प्रत्युतर को स्वीकार नहीं कर आरोपित आरोप के अनुसार उसे दोषी मानते हुए दिनांक 08.04.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है जो कि निरस्त किया जावें।

अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलान्ट के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये एवं वर्गीकरण नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया जिससे सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाक्रम व कार्यवाही का लिखित में अंकन करते हुए अपना प्रत्युतर प्रस्तुत किया परन्तु जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपीलान्ट के उक्त प्रत्युतर को नियमों के अनुसार कन्सीडर किये बिना ही तथा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दण्डित कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा मात्र सपोजिशन, सरमाईजेज के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है क्योंकि अपीलान्ट पर आरोपित किये गये आरोप में किसी प्रकार का विपरित आचरण या उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं थे।

अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा आरोपित आरोप के विडियों के सम्बन्ध में कोई तकनीकी सलाह भी नही ली गई और न ही उक्त वीडियों की सत्यता के सम्बन्ध में पटवार मण्डल कुड़ी के ग्रामवासियों/व्यक्तियों से इस बाबत व्यक्तिशः जानकारी /बयान इत्यादि भी नही लिये गये। मात्र अपीलान्ट को दण्डित किये जाने के उद्देश्य



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

से त्वरित कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट को दोषी करार दे दिया। उक्त वीडियों में दर्शित हो रहे ग्रामवासियों/व्यक्तियों से इस बाबत व्यक्तिशः जानकारी अवश्य लेनी चाहिये थी जो कि नही ली गई। अपीलान्ट उक्त व्यक्तियों के शपथ पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने को तैयार है जिनके द्वारा अपीलान्ट को अपने वाहन में बैठने का कहने तथा उनके द्वारा उक्त राजनीतिक झण्डे को अपीलान्ट को उतारने का कहते हुए दिखाई दे रहे है। इससे स्पष्ट हो जायेगा कि अपीलान्ट किसी भी प्रकार से उक्त राजनीतिक दल का न तो प्रचार कर रहा था और न ही राजनीतिक दल में शामिल रहा है, मात्र आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपीलान्ट को दण्डित किये जाने की मंशा रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त करने योग्य है।

अपीलार्थी इससे पूर्व की राजकीय सेवा में अपने सभी पदीय कर्तव्यों के प्रति सजग रहा तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशों को पूर्ण रूप से समय पर पालन किया गया है और इससे पूर्व उसे कोई दण्ड भी नही दिया गया हैं और न ही उसकी राजकीय सेवा दूषित रही है। अतः अपीलान्ट की अपील को उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करते हुए स्वीकार की जावे एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश 08.04.2024 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावें तथा अपीलान्ट की असंचयी प्रभाव से रोकी गई दो वार्षिक वेतनवृद्धि को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित रहे विभागीय पैरोकार श्री प्रवीण कुमार चौधरी, तहसीलदार कल्याणपुर ने जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा प्रेषित टिप्पणी को ही अपनी बहस मानें जाने का निवेदन किया तथा जिला कलेक्टर बालोतरा के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित दण्ड को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। विभागीय पैरोकार ने जिला कलेक्टर बालोतरा द्वारा प्रेषित टिप्पणी के अनुसार यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर को आरोप पत्र का जो प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है, उसमें आरोपित आरोप को अस्वीकार करना बताया है जबकि कार्मिक द्वारा जिस वीडियों क्लिप का जिक्र किया गया है वह अपने आप में आरोपों की पुष्टि करता है जिसमें कार्मिक द्वारा जवाब भी व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया था। अतः कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर नहीं जाने का कथन अस्वीकार है। उक्त वीडियों को अपीलान्ट ने कहीं भी कूटरचित नहीं होना बताया है न ही किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत पेश करने का निवेदन किया गया था जबकि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अवसर प्रदान किया गया था। कार्मिक द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। जिला कलेक्टर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर की पुष्टि नहीं होने से कार्मिक को दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है जो उचित है। अतः अपील को अस्वीकार किया जाना विधिसम्मत है।

हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया तथा अपील एवं अपील पर जिला कलेक्टर, बालोतरा द्वारा प्रेषित टिप्पणी का भी अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट श्री मूलचन्द, पटवारी पर आरोपित आरोप में कार्मिक को सोशल मीडिया पर जारी वीडियों के अनुसार राजनैतिक दल विशेष व राजनेता विशेष का झण्डा लहराते हुए दिखाई दिये जाने पर उक्त वीडियों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 (01- Notification No. F.4 (3) Apptt. (A-III)/ 65 dated 4-8-1972 w.e.f. 18.8.1972) के नियम 7(1) एवं 7(4) के तहत विहित प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित करते हुए आरोपित आरोप को प्रमाणित होना मानते हुए जिला कलेक्टर बालोतरा द्वारा अपीलान्ट को उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर बालोतरा द्वारा यह टिप्पणी प्रेषित की गई है कि अपीलान्ट कार्मिक द्वारा जिस वीडियो क्लिप का जिक्र किया गया है वह अपने आप में आरोप की पुष्टि करता है तथा अपीलान्ट कार्मिक के द्वारा जवाब भी व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में अपीलान्ट के द्वारा अपील में उठाये गये उक्त कथन अस्वीकार योग्य है कि विडियों में दर्शाये गये दृश्य सत्यता से परे है अथवा कूटरचित प्रतीत होते है। इसके अलावा चुनाव के दौरान किसी राजकीय कर्मचारी द्वारा राजनैतिक दल अथवा राजनैतिक व्यक्ति विशेष के पक्ष में सार्वजनिक रूप से न तो प्रचार किया जा सकता है और न ही राजनैतिक रैली/सभा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जा सकता है जैसा कि राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के नियम 7 (1) व 7 (4) में प्राविधित है। ऐसे में जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा उल्लेखित आरोप के अनुसार अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से जो दण्डित किया गया है, वो विधि के अनुकूल एवं उचित रूप से पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

से अपील अस्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2024 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 10 मार्च, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिमा सिंह)
संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर